प्रकरण संख्या 21/2021 (2021/45)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धर्मचन्द बनाम रामलाल	नम्बर व अहकाम जो ... हुक्म की तामील ... जारी हुए
15/7/21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उपस्थित। विपक्षी क्र. 1 ले पांच बावजूद तामील हाजिर नहीं है अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब के दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	
3/8/21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली वास्ते मूल पत्रावली के तलब दिनांक 25/8/21 को पेश हो।	
25/8/21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली वास्ते मूल पत्रावली के साथ दिनांक 7/9/21 को पेश हो।	
07.09.2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 5 एवं 6 से कोई सहायता नहीं चाही गई है और प्रकरण में रिव्यू हेतु निवेदन किया गया इस प्रकरण में मुख्य रूप से आराजी नं० 1413 को सामलाती गै.मु. आचा था उस को सामलाती में नहीं रखकर विपक्षीगणों के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि आचा पहले भी उभयपक्ष के सामलाती था। और वर्तमान [illegible] है जबकि अन्तिम डिग्री में विपक्षीगण [illegible] में दर्ज कर दिया गया है [illegible] जावे। प्रकरण [illegible] से पाया कि आराजी नम्बर 1413 जो गै.मु. आचा के रूप में दर्ज है और विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी के हिस्से में आराजी नम्बर 2950 रकबा 0.31 हैक्टयर एवं 2952 रकबा 0.02 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा .033 हैक्टयर भूमि आई एवं शेष आराजियात प्रतिवादीगणों हिस्सों में ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda.
Date: 2022.02.18 16:32:46 IST
Reason: SelfAttested

(21/2021)

प्रकरण संख्या (2021/45)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	रखी गई। उक्त प्रस्ताव वादी की उपस्थिति में बनाया गया। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिग्री जारी की गई है। आराजी नम्बर 1413 के आस-पास वादी की कोई भूमि दर्ज नहीं है और ना वादी का कब्जा है। मौके पर कब्जे व हिस्से को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक डिग्री जारी की गई थी और उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव आया है ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को निर्णय पारित कर मूलवाद में अन्तिम डिक्री जारी की गई है और उस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल भी हो चुका है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्याय हित में नहीं है। **आदेश** प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र रिकॉर्ड व मौके अनुसार नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। 7.9.2021 (सुन्दरलाल बम्बोडा) सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:46 IST
Reason: SelfAttested